राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 1877/2012/जयपुर

मैसर्स पावर कन्ट्रोल कॉपोरेशन,
जयपुर। .....अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, जोन–प्रथम, जयपुर। ...प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री जे.आर.लोहिया– सदस्य
श्री अमर सिंह– सदस्य

उपस्थित : :

श्री विक्रम गोगरा
अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से.
श्री एन.के.बैद
उप–राजकीय अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 08/01/2014

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), तृतीय वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलय अधिकारी"** कहा जायेगा) के अपील संख्या 280/अपील्स–तृतीय/201–12/सी आदेश दिनांक 14.09.2012 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं।

2. प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 29.11.2010 को सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन–प्रथम, जयपुर (संक्षेप में **"जांच अधिकारी"**) ने किया था। सर्वेक्षण व्यवसाय स्थल के प्रथम तल पर किया गया था। वक्त सर्वेक्षण फर्म मालिक श्री रविन्द्र गुप्ता के भाई श्री रवीश गुप्ता उपस्थित मिले। सर्वेक्षण अधिकारी ने श्री रवीश गुप्ता को फर्म का मैनेजर व भाई की हैसीयत मानकर सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण के समय कुछ लूज पेपर पाये गये जिनका नियमित लेखा पुस्तकों से मिलान नहीं हुआ। जिस कारण Exp-1 to 10 को जांच अधिकारी ने अभिग्रहित किया गया। अभिग्रहण के समय श्री रवीश गुप्ता उपस्थित थे। अतः उनकी उपस्थिति में ही दस्तावेज के अभिग्रहण की कार्यवाही की गयी। बाद में जांच अधिकारी द्वारा दस्तावेजों की जांच भी श्री रवीश गुप्ता की उपस्थिति ही की गयी। जांच कर प्रकरण निर्णय हेतु वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन जोन–प्रथम, जयपुर (संक्षेप में **"निर्धारण अधिकारी"**) को हस्तान्तरित कर दिया गया। जिसके द्वारा दिनांक 03.11.2011 को कर निर्धारण वर्ष 2008–09 का कर निर्धारण आदेश अन्तर्गत धारा 25(1), 55 व 61 राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम के तहत आदेश पारित किया जाकर कर रूपये 54,176/– ब्याज रूपये 18,962/– शास्ति रूपये 1,08,352/– कुल मांग रूपये 1,81,490/–

लगातार....................2

कायम की गयी। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गयी। जिस पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की अपील को अस्वीकार करने के आदेश को विवादित करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील पेश की गई है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री विक्रम गोगरा द्वारा अपनी बहस में यह कथन किया गया कि उक्त करारोपण पूर्णतया अवैधानिक व अनुचित है। विद्वान अभिभाषक के अनुसार जांच अधिकारी ने सर्वेक्षण राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2006 के नियम 51 of RVAT Rules की पूर्णतया पालन नहीं की गयी है। उनके अनुसार सर्वेक्षण निष्पक्ष गवाहों की उपस्थिति में किया जाना चाहिये था। साथ ही दस्तावेजों का अभिग्रहण पर सीज करने वाले अधिकारी, फर्म के मालिक, पार्टनर या उसके बिजनेस मैनेजर के हस्ताक्षर होने चाहिये तथा दो निष्पक्ष गवाहों के हस्ताक्षर होने चाहिये। विद्वान अभिभाषक ने सीजर मीमों की कॉपी पेश कर बताया कि उक्त सीजर मीमों में श्री रवीश गुप्ता को मैनेजर बताया गया है जबकि वह उनका बिजनेस मैनेजर नहीं है। उनकों वैट फार्म 2 में मैनेजर घोषित नहीं किया गया है। इस प्रकार यह सर्वेक्षण सम्बन्धित व्यक्ति की उपस्थिति व हस्ताक्षर से नहीं किया गया है। जो पूर्णतया अवैधानिक है तथा नियम 51 का उल्लंघन है। यही नहीं श्री गोगरा ने आगे कथन किया कि गवाहों में श्री रवीन्द्र गुप्ता जो कि इस फर्म के मालिक है को गवाह बताया जाकर सीजर मीमों में गवाह के तौर पर हस्ताक्षर कराये गये है। इस प्रकार असम्बन्धित व्यक्ति की उपस्थिति व गवाह में यह सीजर किया गया है। जो पूर्णतया अवैधानिक है अतः सम्पूर्ण कार्यवाही ही अवैधानिक होने से कर निर्धारण आदेश विधिशून्य है।

विद्वान अभिभाषक ने आगे कथन किया कि प्रथम तल पर मैसर्स फ्यूचर कन्ट्रोल कॉरपोरेशन का कार्यालय है। सर्वेक्षण प्रथम तल पर ही किया गया था। जिसके मालिक श्री रविश गुप्ता है। यह अधिनियम के तहत एक अलग से पंजीकृत फर्म है। विद्वान अभिभाषक के अनुसार अभिग्रहित रिकार्ड श्री रवीश कुमार गुप्ता द्वारा ही तैयार किया गया था तथा वही उसका मालिक है। फिर उन दस्तावेजों का मिलान मैसर्स पॉवर कन्ट्रोल कॉरापोरशन की लेखा पुस्तकों से कैसे हो सकता है। विद्वान अभिभाषक के अनुसार वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा मूलभूत प्रश्न को ध्यान में नहीं रखा व प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन करते हुये अभिग्रहित रिकार्ड को मैसर्स पावर कन्ट्रोल कॉरापोरशन का मान कर मांग आरोपित की गयी है जो पूर्णतया अवैधानिक है। वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा इस संबंध में श्री रविश कुमार गुप्ता व श्री रवीन्द्र

लगातार..................3

कुमार गुप्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये हल्फनामों पर भी विचार किये बिना तथा दोनों का कटू परीक्षण किये बिना समस्त दस्तावेजों को मैसर्स पावर कन्ट्रोल कॉरपोरेशन का मानने में भूल की है।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के अनुसार सर्वेक्षण सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन वार्ड–प्रथम, वृत्त जोन–प्रथम, जयपुर द्वारा किया गया है। जिसे सर्वेक्षण करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था। आयुक्त महोदय द्वारा अधिसूचना दिनांक 30.11.2009 के अनुसार वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन को ही अधिकृत किया गया है सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन को नहीं। अतः सर्वेक्षण ही बिना क्षेत्राधिकार के किया गया है।

विद्वान अभिभाषक ने आगे कहा कि 'Prosecutor should not be judge' सिद्धान्त तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का भी सही तरह से पालन नहीं किया गया है। वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा सर्कयुलर दिनांक 07.08.2009 की पूर्ण पालना नहीं की गयी है।

विद्वान अभिभाषक के अनुसार समस्त अभिग्रहित रिकार्ड श्री रविश कुमार गुप्ता व उनकी फर्म मैसर्स फ्यूचर कन्ट्रोल कॉरपोरेशन का है। इस सम्बन्ध में श्री रविश कुमार गुप्ता द्वारा एक हल्फनामा निर्धारण अधिकारी के समक्ष दिनांक 30.08.2011 को पेश कर इस तथ्य की जानकारी दे दी थी। परन्तु निर्धारण अधिकारी द्वारा इस हल्फनामें को "Controvert" अर्थात झूठा साबित नहीं किया गया है। यही नहीं इस हल्फनामें पर विचार नहीं किया गया है। साथ ही अपीलीय अधिकारी ने भी यह तथ्य स्वीकार करने में भूल की है कि इस हल्फनामें का सत्यापन करने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह हल्फनामें के तथ्यों पर विचार किये बिना जो कर निर्धारण किया गया है वह प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अग्रिम कथन किया कि कुल लूज पेपरों की प्रविष्ठियां अपीलकर्ता या श्री रवीश कुमार गुप्ता दोनों से संबंधित नहीं है। तथा उनकों भी अपीलकर्ता ही मानकर जो कर शास्ति व ब्याज आरोपित किया गया है वह पूर्णतया अनुचित है।

आगे कथन किया कि श्री रवीश कुमार गुप्ता जोब वर्क भी करता है जिसके लिये कच्चे माल की व पक्के माल की प्रविष्ठियां उनके द्वारा की गयी है। इस तथ्य को विभाग द्वारा अस्वीकार करने में भूल की है।

लगातार.....................4

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने आगे कथन किया कि उनकों आडिट रिपोर्ट दिनांक 17.08.2011 को प्रथम बार दी गयी। जिसकी जांच पर पाया गया कि बिक्री एवं बिक्री से प्राप्त प्रतिफल (राशियों) को दो बार गणना में ले लिया गया है उसके कारण बिक्री दोगुना ले ली गयी है। जिसमें कारण तथाकथित उचन्ती बिक्री को बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है। अतः दुबारा यदि जांच की जावें तो यह गलती पकड़ में आ सकती है व उचन्ती बिक्री का आंकड़ा कम हो सकता है। यह की वाणिज्यिक कर अधिकारी को यह भूल बतायी गयी थी परन्तु उनके द्वारा पुनः ऑडिट की इजाजत नहीं दी गयी। जिससे बढ़ाचढ़ा कर मांग सृजित कर दी गयी है।

विद्वान अभिभाषक ने उक्त आधार पर कर को अनुचित बताया तथा परिणामस्वरूप ब्याज व शास्ति को भी अवैधानिक बताकर निरस्त किये जाने योग्य बताया।

अन्त में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा धारा 25 के तहत पारित कर निर्धारण आदेश को समय सीमा के बाहर होना बताया गया। उनके अनुसार सर्वेक्षण दिनांक 25.11.2010 को किया गया था सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा Finding of case दिनांक 15.04.2011 को दे दी गयी थी। अतः Making out of case 15.04.2011 होने से 6 माह के भीतर आदेश पारित नहीं किया गया है। आदेश 6 माह बाद दिनांक 03.11.2011 को पारित किया गया है जो कि समय सीमा के बाहर है अतः आदेश पूर्णतया अविधिक है।

5. विभाग की ओर से विद्वान उपराजकीय अभिभाषक श्री एन.के.बैद द्वारा अपनी बहस में बताया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश Making out of case से 6 माह की अवधि में ही पारित किया गया है अतः समय सीमा में है। सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन का क्षेत्राधिकार नोटिफ्केशन F(A)(3)Tax/CCT197-7 dated 01.04.97 (Published 15-04-1997) से प्राप्त है।

उनका कथन है कि नियम 51 की पालना की गयी है। समस्त कार्यवाही नियमानुसार कर मांग सृजित की गयी है। अतः अपीलार्थी की अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. दोनों पक्षों की बहस व पत्रावली के रिकार्ड का अवलोकन किया गया। जिसका बिन्दुवार निर्णय निम्नप्रकार है :–

(i) प्रथमतः अपीलार्थी विद्वान अभिभाषक के कर निर्धारण को कालातीत बताया है इस सम्बन्ध में Making out of case का निर्धारण उनके द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा ऑडिट रिपोर्ट तैयार की उस दिनांक को आधार बनाया है। जबकि

लगातार....................5

Making out of case का निर्धारण धारा 25 के तहत स्पष्टीकरएण अनुसार करापवंचन के आरोप का प्रथम नोटिस जारी किया जाता है वहां से निर्धारण होता है। नोटिस देने की तिथि से 6 माह के अन्दर यह कर निर्धारण कर दिया गया है। अतः इस बिन्दु पर अपीलार्थी का तर्क अस्वीकार किया जाता है।

(ii) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन के क्षेत्राधिकार के संबंध में जों तर्क दिये गये है उसमें जिन अधिसूचनाओं का हवाला दिया गया है उनमें वाणिज्यिक कर अधिकारी को क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन के संबंध में F(A)(3)Tax/CCT197-7 dated 01.04.97 (Published 15-04-1997) का नोटिफिकेशन प्रभावी है। अतः अधिसूचना F(A)(3)Tax/CCT197-7 dated 01.04.97 (Published 15-04-1997) से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन का क्षेत्राधिकार सर्वेक्षण का बनता है। अतः इस बिन्दु पर भी अपीलार्थी का तर्क अस्वीकार किया जाता है।

(iii) अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा नियम 51 की पालना नहीं होने का हवाला दिया है। उसके अनुसार श्री रवीश कुमार गुप्ता मालिक फर्म मैसर्स फ्यूचर कन्ट्रोल कॉरापोरशन की उपस्थिति के किया गया था अतः यह सर्वेक्षण व लूज पेपरों का अभिग्रहण नियमानुसार असम्बन्धित व्यक्ति की उपस्थिति में होने से अविधिक बताया है। परन्तु यहां यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि वक्त सर्वेक्षण श्री रवीश कुमार गुप्ता ने अपने आप को भाई व मैनेजर M/s Power control Corporation घोषित किया था जिस पर विश्वास करके उक्त कार्यवाही की गयी थी। श्री रविन्द्र कुमार गुप्ता द्वारा तथा इस तथ्य को बगैर गवाह हस्ताक्षर कर सही माना गया है। ऐसे में उक्त आक्षेप अनुचित ठहरता है, साथ ही अपने हल्फनामें व जवाब में दूसरी आरे श्री रवीश कुमार गुप्ता समस्त अभिग्रहित दस्तावेजों को स्वयं की फर्म का बता रहे है। दोनों तथ्य विरोधाभासी है। उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि दोनों भाईयों का एक दूसरे से संबंध है। अतः दोनों की उपस्थिति में यह कार्यवाही की गयी है। अतः वे असंबंधित व्यक्ति नहीं है बल्कि Related व्यक्ति ही है अतः नियम 51 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। कार्यवाही समस्त नियमानुसार की गयी है। परन्तु जो रिकार्ड अभिग्रहित किया गया है वह किससे सम्बन्धित है व किससे नहीं यह जांच का विषय हो सकता है। अतः इस बिन्दु पर भी अपीलार्थी का तर्क खारिज किया जाता है।

(iv) अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्क में यह भी कथन किया है कि लूज पेपर एवं अन्य रिकार्ड प्रथम तल जो कि मैसर्स फ्यूचर कन्ट्रोल कॉरापोरेशन का पंजीकृत व रजिस्टर्ड कार्यालय है, से अभिग्रहित किया गया है तथा श्री रवीश कुमार गुप्ता के कब्जे से अभिग्रहित किया गया है तथा अपने हल्फनामा में उसके द्वारा इस

तथ्य को स्वीकार कर अभिग्रहित रिकार्ड उसका होना बताया है तो इस तथ्य को बिना किसी आधार के बिना सुनवाई के व बिना कटूपरीक्षण के कैसे अस्वीकार किया जा सकता है तथा कैसे बिना किसी आधार के उक्त रिकार्ड को श्री रवीन्द्र कुमार गुप्ता मालिक फर्म मैसर्स पावर कन्ट्रोल कॉर्पोरेशन के माना जा सकता है।

(v) यह सही है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त तथ्यों पर विचार नहीं किया गया है। कटूपरिक्षण नहीं कराया गया है तथा श्री रवीश कुमार गुप्ता व उसकी फर्म के बहीखातों से कोई जांच नहीं की गयी है। एवं समस्त रिकार्ड को मैसर्स पावर कन्ट्रोल कॉरपोरेशन का माना गया है। जो सही प्रतीत नहीं होता है। कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत हल्फनामा पर तथ्यात्मक विचार करना चाहिये तथा दोनों भाईयों को एक साथ बिठाकर कटूपरीक्षण करने के बाद निर्णय कर यह तथ्य साबित करना चाहिये कि उक्त रिकार्ड किस फर्म से सम्बन्धित है। अतः इस बिन्दु पर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है।

(vi) विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा यह भी कथन किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दो दो बार एक प्रविष्ठि को गिना गया है। उसके अनुसार एक बार बिक्री को उचन्ती बिक्री माना गया है तथा दुबारा जब उसका भुगतान प्राप्त हुआ है तो उस पर उसे भी उचन्ती बिक्री में शामिल कर लिया गया है। उक्त के कारण दोगुना बिक्री मान ली गयी है। उक्त तथ्य की जांच आवश्यक है। इस संबंध में अपीलकर्ता द्वारा निर्धारण अधिकारी के समक्ष अपने जवाब में भी दुबारा Re audit करने का निवेदन किया गया था जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। एक प्रविष्ठि को दो बार लेना उचित नहीं है। अतः इस बिन्दु पर भी Re audit करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आरोपित कर शास्ति व ब्याज को अपास्त कर पुनः Re audit कर पुनः कर निर्धारण करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

7. परिणामस्वरूप अपील स्वीकार की जाकर उक्त निर्देशानुसार प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

8. निर्णय सुनाया गया।

8-1-14

(अमर सिंह)
सदस्य

(जे. आर. लोहिया)
सदस्य